

प्रेस नोट 03.05.19

1.दिनांक 02.05.19 को वादी उ0नि0 श्री संजीव प्रकाश सिंह थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि कलाम पुत्र यासीन निवासी रीडगंज थाना को0नगर, अयोध्या आदि 04 नफर अभि0गण द्वारा आईपीएल मैच में सट्टा लगाकर जनता को गुमराह कर उनके साथ छल करना, मौके से 03 अदद मोबाइल व मालफड़ 5480/ रूपये तथा जामा तलाशी 760/रूपये बरामद होना। जिसके सम्बन्ध में थाना को0नगर में मु0अ0सं0 352/19 धारा 13 जुआ अधि0 व 419, 420 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

2.दिनांक 02.05.19 को वादी श्री राम सागर पाण्डेय पुत्र नन्द किशोर पाण्डेय निवासी साल्हेपुर निमैचा थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि वाहन संख्या यूपी 42 वी 0786 बस का चालक नाम पता अज्ञात वाहन चालक द्वार तेज व लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर वादी को टक्कर मार देना जिससे पैर फ्रैक्चर हो जाना। जिसके सम्बन्ध में थाना कैण्ट में मु0अ0सं0 173/19 धारा 279, 337, 338 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

3.दिनांक 02.05.19 को वादी श्री शमशेर पुत्र मो0 इकबाल निवासी इब्राहिमपुर तकिया थाना पूराकलन्दर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि असलम पुत्र अकराम निवासी इब्राहिमपुर तकिया थाना पूराकलन्दर, अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा वादी को मारना पीटना, गाली व जान माल की धमकी देना। जिसके सम्बन्ध में थाना पूराकलन्दर में मु0अ0सं0 206/19 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

4.दिनांक 02.05.19 को वादी श्री तुफैल अहमद पुत्र मो0 महमूद नि0 60/15/549 चेला छावनी वजीरगंज थाना को0नगर, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी की मोटर साइकिल नं0 यूपी 42 एडी 9224 चोरी कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 195/19 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

5.दिनांक 02.05.19 को वादी श्री हरीश कुमार (नलकूप चालक) पुत्र सत्य नरायन निवासी सरायनामू थाना रौनाही, अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि राम सजीवन पुत्र शम्भूलाल निवासी सारंगापुर थाना रौनाही, अयोध्या आदि 03 नफर अभि0गण द्वारा सरकारी नलकूप की नाली पर अवैध रूप से कब्जा कर लेना। जिसके सम्बन्ध में थाना रौनाही में मु0अ0सं0 196/19 धारा 3 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया ।